जिला निर्वाचन कार्यालय, कुल्लू

प्रैस–विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारत निर्वाचन आयोग ने सेना में कार्यरत सैनिकों/अर्द्वसैनिक बलों के व्यक्तियों की मतदाता सूची को नये सिरे (De Novo) से तैयार करने के आदेश दिये हैं। सभी सैनिकों/अर्द्वसैनिक बलों के व्यक्तियों जिनका नाम पहले ही वर्तमान सैनिकों की मतदाता सूची में दर्ज है, को भी मतदाता सूची में अपने नाम पुनः दर्ज करवाने होगें। अतः सभी सैनिकों/अर्द्वसैनिक बलों के व्यक्ति अपना नाम सैनिकों की मतदाता सूची में दर्ज करवाने के लिए अपने आवेदन पत्र (प्ररूप 2 व 2ए) भरकर 15 मार्च, 2015 तक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश, जिला निर्वाचन अधिकारी (उपायुक्त), कुल्लू तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (उपमण्डल अधिकारी (ना0), मनाली, कुल्लू, बन्जार व आनी के कार्यालय को भेज सकते हैं।

इसके अतिरिक्त सेना के जवान अपने मताधिकार का प्रयोग अन्य व्यक्ति से करवाना चाहें तो इसके लिये वे अपना परोक्षी (Proxy) भी फार्म न0 13F पर नियुक्त कर सकते हैं। परोक्षी (Proxy) सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र का साधारण निवासी होना चाहिए व निर्वाचक बनने की समस्त योग्यताएं रखता हो।

पीस स्टेशन / युनिट (Peace Staton / Unit) के सेवा अहर्ता मतदाता अपना नाम सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र की साधारण नामावली में भी प्ररूप–6 (Form-6) भर कर साधारण मतदाता के तौर पर भी दर्ज करवा सकते हैं ।

सेना के जवान के साथ रह रही उसकी पत्नी भी अपना नाम सेना के जवानों की सूची में दर्ज करवाने की पात्र होगी यदि पत्नी उक्त सेवा में हो तो उसके साथ रह रहे पति के लिए यह प्रावधान नहीं होगा।

(राकेश कंवर)
जिला निर्वाचन अधिकारी (उपायुक्त),
कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याः ई.एल.एन.–कुल्लू–एफ(1)–1/2014–241-52 दिनांकः 27 फरवरी, 2015
प्रतिलिपि प्रेषित है :–

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश,शिमला–9 की सेवा में सूचनार्थ।
2. समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (उप मण्डल अधिकारी (नागरिक), जिला कुल्लू को बूथ लेवल अधिकारियों के माध्यम से व्यापक प्रचार हेतु।
3. जिला पंचायत अधिकारी, कुल्लू को सूचनार्थ। उनसे अनुरोध है कि उपरोक्त कार्यक्रम का पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से व्यापक प्रचार करवाना सुनिश्चित करें व कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करवायें।
4. नैशनल कैडेट कोर (NCC) अधिकारी, कुल्लू को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. कमांडेंट भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल बबेली को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. कमांडेंट सीमा सुरक्षा बल, शमशी को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. जिला लोक सम्पर्क अधिकारी,कुल्लू को इस अनुरोध सहित की वे इस प्रैस–विज्ञप्ति को विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करवायें।
8. समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल, जिला इकाई कुल्लू ।

Send to all Panchayat through BDO. Put on website and notice board.

जिला निर्वाचन अधिकारी (उपायुक्त),
कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।